सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2012/00064

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

अधिकारी -- हरिसिह लंबोरा आर0 ए0 एस0
संख्या– 36 / 2010

वेणी वेवा गुलावसिह 2–शिवदत्त 3–दुर्गा 4–सुम्मे (फौत) पुत्रगण गुलावसिह 4/1–सुज्जो बेवा सुम्मे 4/2–हरिओम 4/3–रेखा 4/4–पुष्पा 4/5–जगनसिह 4/6–शिवशंकर पिसरान सुम्मे नाबा0 सरपरस्ती माता सुज्जो 5–शीला 6–श्रीमती 7–पांचो पुत्रीयांन गुलावसिह 8–नर्वदा वेवा गजाधर 9–जगवीर 10–राजू 11–नरेश 12–मीना 13–जयश्री 14–पूजा पिसरान गजाधर समसत जातिगण काछी निवासीगण ग्राम विक्रमपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

........................वादीगण

बनाम

1–ऊदल 2–बृन्दावन पुत्रगण पातीराम 3–रमुजी 4–गंगाश्री पिसरान भूरा 5–मातोली 6–चेतराम 7–बहादुर 8–कुंजी 9–बैकुण्ठी पिसरान देवीराम जातिगण काछी निवासीगण विक्रमपुरा 10–माया पत्नी पृथ्वीराज 11–दलीप पुत्र पृथ्वीराज 12–भूपसिह 13–मनोज पुत्रगण पृथ्वीराज नाबा0 सरपरस्ती माता माया 14–नत्थो 15–सविता पुत्रीयांन पृथ्वीराज नाबा0 सरपरस्ती माता माया 16–भगवानदेई पत्नी ठाकुरदास 17–मलखे 18–मुनेश पिसरान ठाकुरदास 19–नत्थी 20–नेकराम 21–मवसिया पुत्रगण भोपति 22–गुलावदेई 23–ओमवती पुत्रीयां भोपति 24–रामदयाल 25–सद्दन 26–कम्पूरी 27–ल्होरी 28–राजो पिसरान तोता 29–रामश्री पत्नी ल्होरे 30–सुखराम 31–जलसिह 32–प्रेमसिह 33–राजेन्द्र पुत्रगण ल्होरे 34–पूरनदेई 35–लीलावती 36–भूदेवी पुत्रीयांन ल्होरे 37–विजयसिह 38–मुन्नी 39–शीला पिसरान बुद्धा 40–तलपा पत्नी रूपसिह 41–पप्पू 42–नेहने 43–महावीर 44–जलदेई 45–लोंगों पिसरान रूपसिह 46–चेता 47–गंगाराम पुत्रगण फूलसिह 48–शिवदेई 49–कमलेश पुत्रीयांन फूलसिह 50–सज्जनदेई पत्नी सद्दन 51–ओमप्रकाश 52–केतुकी पिसरान रामकिशन 53–पातीराम 54–केहरी पुत्रगण कल्ला 55–द्रोपती पत्नी कल्ला 56–गूदो वेवा भरतसिंह 57–निनुआ 58–महेन्द्र 59–भगवानदास पुत्रगण भरतसिह समस्त जातिगण काछी निवासीगण ग्राम विक्रमपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
60–एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा सन्तर रोड धौलपुर जरिये शाखा प्रवन्धक
61–आ.जी.बी. बैंक शाखा पंचगॉव जरिये शाखा प्रवन्धक
62. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

...............................प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरार हक व स्थाई
निषेधाज्ञा व बंटवारा व दुरस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – 1–श्री योगेश कुमार शर्मा (वादी)

निर्णय

दिनांकः 10.07.2016

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

...पुरा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित ...जी खसरा नम्बर 559, 561, 562, 563, 568 वाके ग्राम विक्रमपुरा का बन्दौवस्त से पूर्व गत ख.न. .../24 रकवा 20 वीघा स्थित वाके गग्रम गढीचटोला था तथा जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के पूर्वज गोपाल बल्द रामईत 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार एंव अधिपत्यधारी कृषक था कल्ला बल्द विरखे 1/4 भाग का दौलत बल्द खरगा 1/4 भाग का धनसिह बल्द नन्दा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार थे तथा वादपत्र में गोपाल बल्द रामईत का 1/4 भाग ही विवादित है। गोपाल का निधन हो चुका है गोपाल को अपने जीवनकाल में ही जरिये नामा0 संख्या 105 आराजी विवादग्रस्त का नो तोड खातेदार काश्तकार होने के लिहाज से कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के फलस्वरूप आराजी विवादग्रस्त के तत्कालीन उक्त सहखातेदार काश्तकारान के साथ राज0 टेनेन्शी दफा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। गोपाल के निधनोपरान्त विवादित आराजी में निहित समस्त तर्का 1/4 भाग उसके सबसे नजदीकी वारिसान उत्तराधिकारी एंव कायम मुकाम के रूप में उसके पुत्रगण शोभाराम, बलदेव, मूला, और हरनारायन पर एकान्तिक रूप से प्रकान्त जरिये नामा0 संख्या 167 संलग्न जमावन्दी संवत 2021 से 2024 वाके गग्रम गढीचटोला हुआ था। शोभाराम, बलदेव, मूला, और हरनारायन मुताबिक उक्त नामा0 जमाबंन्दी संवत 2021 से 2024 खतौनी संख्या 116 बतौर खातेदार काश्तकार के स्व0 गोपाल के स्थान पर विरासतन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये थे तथा उपरोक्तानुसार ही मौके पर काबिज होकर आजीवन फसल प्राप्त करते रहे। शोभाराम का बिनाओलाद के बल्देव, मूला व हरनारायन के जीवनकाल में ही निधन हो गया था तथा शोभाराम का समस्त तर्का बल्देव, मूला व हरनारायन पर प्रकान्त हुआ था तथा बल्देव, मूला व हरनारायन विवादित आराजी में 1/12,1/12,1/12 भाग के खातेदार काश्तकारी अधिकारी थे लेकिन शौभाराम के निधनोपरान्त विवादित आराजी पर विरासतन नामा0 नही खुल पाया था। मूला का भी निधन हो चुका है मूला का समस्त तर्का उसके पुत्र गुलाव ने प्राप्त किया था , गुलाब की भी निधन हों चुका है स्व0 गुलाव के वारिस एंव उत्तराधिकारी वादीगण है तथा वादी संख्या 1 लगायत 7 विवादित आराजी में 7/96 भाग के तथा 8 लगायत 14, 1/96 भाग के अधिकारी खातेदार काश्तकार है। बल्देव व हरनारायन का भी निधन हो चुका है। बल्देव व हरनारायन के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 है, तथा वादीगण के पूर्वज गुलाव बल्द मूला की बेक पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के पूर्वज बल्देव व हरनारायन ने बन्दोवस्त के दौरान बन्दोवस्त कर्मचारियो से साज कर वादीगण के पूर्वज गुलाब के नामा0 संख्या 167 से प्राप्त खातेदारी इन्द्राजात लोपित करवा दियें तथा शौभाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के पूर्वज स्व0 भूरा, देवीराम तथा हरनारायन के हक में जरिये नामा.106 अवेद्य रूप से खुलवा दिये तथा नामा0 संख्या 106 व बन्दोवस्त के दौरान किया गया कृत्य ब मुकाबले हकूक वादीगण शून्य व बैअसर है तथा प्रतिवादीगण के उक्त अवैद्य कृत्य की जानकारी वादीगण को वाद दायरी से 2 माह पूर्व हुई थी।

अन्त में निवेदन किया है कि वादीगण को विवादित आराजी में उपरोक्त हिस्सा अनुसार खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि वह वादीगण की हिस्से की आराजी पर एंव वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप नही करे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर बाबजूद तामील कोई उपस्थित नही दिनांक 4.07.2019 को प्रतिवादीगण के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई ।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य पीडबल्यू–1 शिवदत्त एंव पीडबल्यू–2 बैनीराम कराये गये दस्तावैजी साक्ष्य में जमावन्दी संवत 2066 से 2069 खाता संख्या 6 प्रदर्श 1, नामा0 संख्या 306 2, जमावन्दी संवत 2033 से 2036 तक खाता संख्या 143 प्रदर्श 3, तथा जमावन्दी संवत 2029 2032 खाता संख्या 129 प्रदर्श 4, मिसिल बनदोवस्त प्रदर्श 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, जमावन्दी 021 से 2024 प्रदर्श 7, नामा संख्या 167 संलग्न जमावन्दी संवत 2021 से 2024 प्रदर्श 8, जमावन्दी संवत 2017 से 2020 प्रदर्श 9, जमावन्दी संवत 2017 से 2020 खाता संख्या 36 प्रदर्श 10, शिजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीचटोला प्रदर्श 11 प्रस्तुत किया तथा नामा0 संख्या 167 के दस्तावैजी साक्ष्य के माध्यम से गुलाव बल्द मूला के पक्ष में खातेदारी अंकन निर्विवाद से सिद्व है। गुलाव बल्द मूला को गोपाल की विरासत प्राप्त होना निर्विवाद होना सिद्व है तथा बन्दौवस्त तक गुलाब बल्द मूला का खातेदार काश्तकार होना पूर्णतय सिद्व है तथा दस्तावैजी साक्ष्य से गोपाल बल्द रामईत का खातेदार होना सिद्व है शिजरा प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 से गोपाल का वादीगण का वारिस होना सिद्व है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप से वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा एंव स्वत्व पीडबल्यू 1 व 2 ने सिद्व किया है। तथा अधिवक्ता वादी ने दावा को अन्तर्गत धारा 53 आरटीए की सामा तक वाद पत्र को नोट प्रेस करने एंव धारा 88 व 188 आरटीए की सीमा तक निर्णय व डिक्री हेतु निवेदन किया तथा मौखिक रूप से यह भी कहा कि वादी संख्या 4 का दौराने दावा मृत्यु होना बताया है तथा उसके वारिस वादी संख्या 4/1 लगायत 4/6 है जिन्होन वादी संख्या 4 का समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया है। हमने एकपक्षीय बहस सुनी एंव दस्तावैजी साक्ष्यो का अवलोकन किया जिससे हम पूर्णतय सहमत है। अतः खसरा नम्बर नम्बर 559, 561, 562, 563, 568 वाके ग्राम विक्रमपुरा तहसील सैपऊ पर वादी संख्या 1 लगायत 3 को 3/96 भाग का, वादी संख्या 4/1 लगायत 4/6 को सामुहिक रूप से 1/96 भाग का, वादी संख्या 5 लगायत 7 को 3/96 भाग का तथा वादी संख्या 8 लगायत 14 को सामुहिक रूप से 1/96 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी नम्बर नम्बर 559, 561, 562, 563, 568 वाके ग्राम विक्रमपुरा तहसील सैपऊ पर वादी संख्या 1 लगायत 3 को 3/96 भाग का, वादी संख्या 4/1 लगायत 4/6 को सामुहिक रूप से 1/96 भाग का, वादी संख्या 5 लगायत 7 को 3/96 भाग का तथा वादी संख्या 8 लगायत 14 को सामुहिक रूप से 1/96 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वह वादीगण के हिस्से की आराजी पर कोई दखलन्दाजी एंव कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ